BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 26 जून, 2022 **थाना कोतवाली नगर**

चोरी की घटनाओं में वांछित 20,000 रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी चंदन सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की ज्वैलरी, नकदी, एक मोटर साइकिल एवं अवैध असलहा कारतूस बरामद।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 25.06.2022 को थाना कोतवाली नगर पुलिस खालसा तिराहे पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग कर रही थी कि एक अभिसूचना प्राप्त हुई कि नगर क्षेत्र में मकाना का ताला तोड़कर चोरी की घटनाएं करने वाले गिरोह के दो सदस्य एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर चोरी का माल लेकर कालाआम चौराहे की तरफ से मऊखेड़ा की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्परता से बैरियर लगाकर सघन चेकिंग करने लगी कि कुछ देर बाद कालाआम चौराहे की तरफ से एक बाइक पर दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। नजदीक आने पर बाइक सवार व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार व्यक्ति तेजी से अपनी बाइक पीछे मोड़कर वापस भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर समय करीब दोपहर 12:20 बजे बाइक सवार दोनों अभियुक्तों को चोरी की गयी ज्वैलरी, एवं अवैध असलहा मय कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. चन्दन उर्फ गंजा उर्फ चन्दू पुत्र कादर उर्फ केदार शर्मा निवासी जी ब्लाक म0नं0 414 जहांगीरपुरी, थाना जहांगीरपुरी दिल्ली। हाल पता-जेजे कालोनी गली नं0 ए-3 भलसवा थाना भलसवा डेरी दिल्ली।
2. दीपक उर्फ नन्नू पुत्र स्व0 गणेश निवासी म0नं0-161 छोटा बेगमबाग थाना लालकुर्ती जनपद मेरठ।

बरामदगी-

1- **पीली धातु**-04 चैन, 06 अंगूठी, 03 जोड़ी कानों के टॉप्स।

2- **सफेद धातु**-03 सिक्क, 1000 रूपये नकद, एक मोबाइल रेडमी

3- एक तमंचा 315 बोर मय दो जिंदा कारतूस व एक छुरी

4- एक मोटरसाइकिल नंबर डीएल-3एसईक्यू-4546

अभियुक्त चंदन उर्फ गंजा ने पूछताछ पर बताया कि मैनें अपने साथी दीपक उर्फ नन्नू व अन्य दो साथियों के साथ मिलकर बुलन्दशहर, मेरठ, नोएडा, दिल्लो आदि शहरों मे बन्द मकानों में चोरी की घटनाएं कारित की गयी है। हमने पिछले साल जुलाई में बुलन्दशहर कालोनी, रेलवे कालोनी, शिवपुरी व आवास विकास कालोनी में चोरी की घटना की थी, चोरी में पैसा व ज्वेलरी सोने चांदी की मिली थी हमारा एक साथी तलसीम पकड़ा गया था और उससे चोरी के पैसे बरामद हो गये थे, परन्तु उसने सोने की ज्वैलरी छिपाकर रखी थी यह उसने हमे बताया था। आज हम उस ज्वेलरी को लेकर आज मेरठ बेचने जा थे। सोने की चार चैन व तीन अंगूठी, एक जोडी टाप्स बरामद हुये है वह लक्ष्मीनगर की चोरी के हैं और जो एक जोडी टाप्स व अंगूठी मिले है यह शिवपुरी कालोनी की चोरी की है और जो चांदी के सिक्के मिले हैं वह आवास विकास कालोनी की चोरी की घटना के है और जो एक हजार रूपये, दो अंगूठी पीली धातू मिले है वह रेलवे कालोनी से चोरी किये हुए है।

अभियक्त दीपक उर्फ नन्नू ने पूछताछ पर बताया कि उसने अपने साथी चंदन उर्फ गंजा, तसलीम व प्रवीण उर्फ सोनू के साथ मिलकर लक्ष्मीनगर कालोनी में चोरी की घटना की थी तथा चोरी की घटना कर फरार हो गए थे जिसमें मौके से उनका एक साथी तसलीम पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया था। बाद में हम लोगों को

तसलीम ने बताया था कि चोरी किया गया सोने का सामान बुलंदशहर में अपने घर पर छुपाकर रखा है। आज उसी ज्वेलरी को लेकर मेरठ बेचने के लिए जा रहे थे।

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने बताया गया कि हमारे गिरोह में 04 सदस्य हैं। हम लोग बद घरों/दुकानों के ताले तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात व नकदी चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देते हैं तथा चोरी करते समय जो भी व्यक्ति विरोध करता है, उसको गोली मारकर फरार हो जाते हैं।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने बताया कि नगर क्षेत्र में लक्ष्मीनगर मोहल्ले में आयकर विभाग के कार्यालय के पास एक मकान से करीब साढे 05 लाख रूपये, सोने-चांदी के जेवरात चोरी करने की घटना कारित की गयी थी। इस घटना में चोरी के रुपए तसलीम से बरामद हो गए थे।

इसके अतिरिक्त मोहल्ला शिवपुरी कॉलोनी में फील्ड के पास एक घर से एक लाख रूपये चोरी की घटना की गयी थी। आज जो सोने की ज्वेलरी बरामद हुई है वह लक्ष्मीनगर, आवास विकास कॉलोनी तथा शिवपुरी की घटनाओं से संबंधित है।

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत मोहल्ला लक्ष्मीनगर में चोरी की घटना के संबंध में मुअसं-1079/2021 धारा 457/380 भादवि, आवास विकास कालोनी से संबंधित घटना के संबंध में मुअसं-1153/2021 धारा 380 भादवि, मोहल्ला शिवपुरी से संबंधित घटना के संबंध में मुअसं-1120/2021 धारा 457/380 भादवि तथा रेलवे कालोनी मे हुई चोरी की घटना के संबंध में मुअसं-1152/2021 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत है। चोरी की इन सभी अभियोग में चंदन उर्फ गंजा वांछित/फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा 20,000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

अभियुक्तों द्वारा बताया कि उपरोक्त घटनाओं के अतिरिक्त हम दानों व एक साथी प्रवीण उर्फ सोनू ने मिलकर करीब डेढ़ माह पूर्व मेरठ शहर में लालकुर्ती एरिया में बाउंड्री रोड़ के पास हीरा स्वीट्स के पास वाली गली में दो मंजिला मकान में चोरी की थी जिसमें सोने-चांदी की ज्वेलरी व रुपए भी मिले थे। इसके अतिरिक्त हम दोनों व प्रवोण ने मिलकर डिवाइडर रोड के पास एल ब्लॉक गंगानगर मेरठ से दो मंजिला मकान में 10 फरवरी 2022 को चुनाव वाले दिन चोरी की थी जिसमें कुछ रुपए, ज्वेलरी व दो घड़ी चोरी की थी। इसके अतिरिक्त हम दोनों व प्रवीण ने जनपद मेरठ के थानाक्षेत्र कंकरखेड़ा के कासमपुर कॉलोनी शराब मिल से आगे नाले के पास मकान में एवं शिव चौक से आगे कंकरखेड़ा मंगल हॉस्पिटल के पास कंकरखेड़ा में करीब साढे 05 महीने पूर्व बंद मकान में चोरी की थी चोरी में रुपए, सोने-चांदी की ज्वैलरी मिली थी। जनपद मेरठ से चोरी किए गए ज्वेलरी, सामान के संबध में पूछने पर बताया कि मेरठ से चोरी किया गया सारा सामान दीपक उर्फ नन्नू के माध्यम से मेरठ के ही अपने परिचित सर्राफ को बेच दिया था।

अभियुक्त चंदन उर्फ गंजा के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर निम्न अभियोग पंजीकृत हैं-

अभियुक्त चंदन उर्फ गंजा का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-1079/2021 धारा 457/380 भादवि थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर।
2- मुअसं-1120/2021 धारा 457/380 भादवि थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर।
3- मुअसं-1152/2021 धारा 457/380 भादवि थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर।
4- मुअसं-1153/2021 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर।
5- मुअसं-206/2019 धारा 454,380,34 भादवि थाना बरारी दिल्ली।
6- मुअसं-579/2019 धारा 454,380,411,34 भादवि थाना बरारी दिल्ली।
7- मुअसं-188/2019 धारा 454,380,411,34 भादवि थाना बरारी दिल्ली।
8- मुअसं-186/2019 धारा 380,411,34 भादवि थाना बरारी दिल्ली।
9- मुअसं-102/2019 धारा 457,380,411,34 भादवि थाना बरारी दिल्ली।
10- मुअसं-382/2017 धारा 379,411 भादवि थाना बरारी दिल्ली।
11- मुअसं-385/2017 धारा 379,411 भादवि थाना बरारी दिल्ली।
12- मुअसं-185/2017 धारा 380,411 भादवि थाना बरारी दिल्ली।

13- मुअसं-50ए/2017 धारा 41.1(बी)(ए) दप्रसं थाना जहांगीरपुरी दिल्ली।
14- मुअसं-694/2013 धारा 381 भादवि थाना बल्लभगढ़ सदर दिल्ली।
15- मुअसं-83बी/2009 41.1(डी) दप्रसं थाना शालीमार बाग दिल्ली।
16- मुअसं-140/2009 धारा 454,380,411,34 भादवि थाना साकेत दिल्ली।
17- मुअसं-165/2009 धारा 457,380,411 भादवि थाना मुखर्जीनगर दिल्ली।
18- मुअसं-197/2009 धारा 454,380 भादवि थाना मुखर्जीनगर दिल्ली।
19- मुअसं-330/2008 धारा 25/54/59 शस्त्र अधि0 थाना संगम बिहार दिल्ली।
20- मुअसं-388/2008 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना अशोक विहार दिल्ली।
21- मुअसं-473/2007 धारा 25/54/59 शस्त्र अधि0 थाना जहांगीरपुरी दिल्ली।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-550/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 एवं मुअसं-551/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री संजीव कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर
2. उ0नि0 परवेज चौधरी, म0उ0नि0 आरती
3. है0का0 अशोक कुमार, है0का0 संजीव शर्मा, है0का0 कपिल कुमार, का0 पंकज कुमार, का0 विदित कुमार, का0 अभिषेक कुमार।

मीडिया सैल बुलन्दशहर